

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय (पूर्व) कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

परिपत्र

संख्या 52-60/राज. हिन्दी.अनु/पूर्व/क.क.डू/2018

दिल्ली/दिनांक 13/08/2018

अत्यंत हर्ष के साथ आप सबको सूचित किया जाता है कि, राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय (पूर्व-जिला) में हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में संस्थान में कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

1. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (लिखित) हेतु नियम

यह प्रतियोगिता दिनांक 05/09/2018 को, कंप्यूटर प्रशिक्षण कक्ष, तृतीय तल, कड़कड़डूमा न्यायालय में आयोजित की जाएगी।

क. हिन्दी टंकण (लिखित) प्रतियोगिता कंप्यूटर पर ली जाएगी।

ख. इसकी अवधि 10 (दस) मिनट की होगी जिसमें लिखित प्रश्न-पत्र दिया जाएगा।

ग. हिन्दी टंकण (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का मूल्यांकन, टंकण की गति व सटीकता, दोनों के आधार पर किया जाएगा।

प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारी, दिनांक 31/08/18, तक निर्धारित प्रपत्र को भरकर, राजभाषा हिन्दी अनुभाग (पूर्व-जिला), कड़कड़डूमा न्यायालय को प्रेषित करें।

2. स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत आदि), प्रतियोगिता हेतु नियम

क. कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में संबद्ध जिले के नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग (पूर्व जिला), कड़कड़डूमा न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

ख. स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि यह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है।

ग. स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

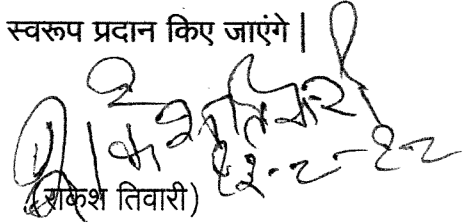
प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारी, दिनांक 05/09/18 तक अपनी स्वरचित रचना, बंद लिफाफे में, राजभाषा हिन्दी अनुभाग (पूर्व-जिला), कड़कड़डूमा न्यायालय को प्रेषित करें।

-2-

दोनों प्रतियोगिताओं के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :-

प्रथम पुरस्कार (एक)	4000/-
द्वितीय पुरस्कार (एक)	3000/-
तृतीय पुरस्कार (एक)	2000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार (पांच)	800/-

इसके अतिरिक्त प्रशस्ति-पत्र व पुस्तक/पत्रिका इत्यादि भी पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे।

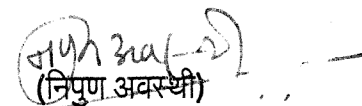

(शिकेश तिवारी)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व)
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है :-

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व, उत्तर-पूर्व व शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
2. माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्व-जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय दिल्ली
3. माननीय प्रभारी न्यायाधीश, मध्यस्थता केंद्र, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. माननीय प्रभारी न्यायाधीश, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, पूर्व-जिला, दिल्ली
5. माननीय सभी न्यायिक अधिकारी, पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. रीडर, श्री निपुण अवस्थी, नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी, (पूर्व), कड़कड़डूमा न्यायालय।
7. सभी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) पूर्व, उत्तर-पूर्व व शाहदरा जिला, विभागाध्यक्ष विभाग/अनुभाग/संभाग के प्रभारी, (पूर्व जिला), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
8. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) प्रभारी, राजभाषा हिन्दी विभाग (मुख्यालय)
9. वेबसाइट समिति, पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

->> कृपया ध्यान दें : अतः उपरोक्त समस्त न्यायिक अधिकारियों/अन्य अधिकारीगणों/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र के विषय में अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को अवश्य सूचित करें।


(निपुण अवस्थी)

प्र.दी.न्या./नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (पूर्व)
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (पूर्व-जिला)

तृतीय तल , पौटा केबिन

कड़कड़ूमा न्यायालय , दिल्ली

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता -2018

- 1.कर्मचारी का नाम : _____
- 2.पिता/पति का नाम : _____
3. पदनाम/कर्मचारी कूट संख्या : _____
- 4.शैक्षणिक योग्यता : _____
- 5.विभाग/नियुक्ति : _____

कर्मचारी के हस्ताक्षर

अग्रसारित अधिकारी
के हस्ताक्षर (मोहर सहित)